

राजस्थान सरकार  
डॉ०राधाकृष्णन् राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय  
सौम्य मार्ग, गांधीनगर, जयपुर- 302015 फोन नं० 0141-2707694

शोध-कक्ष/केबिन सदस्यता  
आवेदन पत्र  
(शोध एवं प्रतियोगी परीक्षा हेतु)

फोटो चिपकाये

महोदय,

1. मैं पुस्तकालय के शोधकक्ष/केबिन की सदस्यता का/की प्रार्थी हूँ। मैंने शोध-कक्ष/केबिन के पृष्ठांकित नियम ध्यानपूर्वक पढ़े हैं तथा उनका पूर्णतया पालन करने की प्रतिज्ञा करता/करती हूँ मेरा विवरण एवं पता निम्न प्रकार है :-

नाम .....सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी श्री.....

जन्मतिथि.....आयु.....शिक्षा.....

व्यवसाय.....स्थायी पता.....

वर्तमान पता.....फोन नं.....मो०.....

शोध/प्रतियोगी परीक्षा का विवरण.....

पुस्तकालय सदस्यता क्रमांक.....

हस्ताक्षर प्रार्थी

2. व्यक्तिगत प्रतिभूति (जमानत) राजपत्रित अधिकारी जो कि नगर निगम की सीमा में कार्यरत हो, की प्रतिभूति स्वीकार की जायेगी।

मैं ..... सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी श्री.....

पूरा पता (निवास).....

कार्यालय.....में .....के पद पर कार्य करता/करती हूँ। फोन नं.....

.....(कार्यालय).....(निवास)।

मैं श्री/सुश्री/श्रीमती ..... आत्मज/आत्मजा/पत्नी श्री.....

के पुस्तकालय नियमों एवं दायत्वों का उत्तरदायित्व लेता/लेती हूँ।

जमानतकर्ता

(राजपत्रित/शोध गाइड के स्ताक्षर मय मुहर)

## शोध-कक्ष / केबिन सदस्यता हेतु नियमावली

1. शोधकक्ष के उपयोग के लिए पाठक को इस पुस्तकालय की सदस्यता लेना अनिवार्य होगा। जिसका पूर्व में पृथक से पुस्तकालय सदस्यता का फार्म भरा जाएगा।
2. शोधकक्ष केवल शोधार्थी एवं प्रतियोगी परीक्षार्थियों को ही उपयोग हेतु दिए जाएंगे।
3. शोधकक्ष का उपयोग पुस्तकालय के समयानुसार प्रातः 8.00 बजे से 6.00 बजे सायं तक ही करने दिया जाएगा।
4. कैबिन 15 दिवस के लिए ही उपलब्ध कराया जाएगा जिसका पुस्तकालय विकास शुल्क के रूप में 100/- (अक्षरे एक सौ रु.) जमा करवाना होगा तथा अगले 15 दिवस हेतु अतिरिक्त 100/- (अक्षरे एक सौ रु.) प्रार्थना पत्र के साथ जमा करवाना होगा। इसके पश्चात् केबिन प्राथमिकता एवं उपलब्धता के आधार पर ही दिया जाना संभव होगा।
5. प्रार्थी अपने साथ स्वयं की पाठ्य सामग्री ला सकता है किन्तु उसे आते व जाते समय समस्त सामग्री वाचनालय प्रभारी व बाहरी काउन्टर प्रभारी को चैक करानी होगी। पाठ्य सामग्री खुली लेकर जावे।
6. प्रार्थी केबिन में केवल स्वयं ही अध्ययन करें एवं अपने अध्ययन सामग्री का स्वयं ही ध्यान रखें। अन्य पाठक के होने पर प्रार्थी की सदस्यता समाप्त की जा सकती है।
7. पुस्तकालय के नियमों की अवहेलना करने पर प्रार्थी की सदस्यता समाप्त कर शुल्क जब्त कर लिया जाएगा।
8. केबिन सदस्यता रसीद वाचनालय प्रभारी को दिखाने पर ही केबिन में बैठने की अनुमति दी जाएगी।
9. अवकाश के दिन कैबिन सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।
10. शोधार्थी/परीक्षार्थी अन्तिम उत्तीर्ण कक्षा की अंक तालिका की फोटो प्रति संलग्न करें।
11. राज्य पुस्तकालयाध्यक्ष का निर्णय अन्तिम होगा। राज्य पुस्तकालयाध्यक्ष द्वारा बिना पूर्व सूचना के सदस्यता निरस्त की जा सकती है।

**पुस्तकालयाध्यक्ष**